

प्रिय,

श्री अशोक शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

शेपट नं.

सचिव,
विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद,
विश्वविद्यालय 2, लखनऊ,
प्रति पिछान नई दिल्ली।

लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 1998

विषय 171 अनुभाग

विषय:- नीहार मेरा नेशन हाउसकी अगुवाई की सी0वी0का0की नई दिल्ली है सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहे का निदेश प्राप्त है कि नीहार मेरा नेशन हाउसकी अगुवाई की सी0वी0का0की नई दिल्ली है सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने में ऊपर राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की परीक्षा सौभाग्य की समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की पुस्तक समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्राध्यापक स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अर्थात् वैशेष शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित के द्वितीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोटिल फार्म डिप्लोमन स्कूल सटीक शिक्षा अनुदानित नई दिल्ली है प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने का तिथि से परामर्श से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वीकृत समाप्त हो जायेगी।
- 151 संस्था के अतिरिक्त अन्य शिक्षण के कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमति वित्तमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिए जायेंगे।

161. कर्मचारियों को सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असमर्थीय उपचर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों की अनुमति सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेगा ।

171. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तैयार करना पालन करेगा ।

181. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।

191. उपरोक्त में राज्य सरकार के प्रधानमन्त्री के बिना कोई पत्रिका/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तैयार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि तैयार द्वारा नये मन्त्र का निर्माण मानकानुसार शीघ्र सुनिश्चित किया जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैयार के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तैयार द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पुनः या गिरफ्तारी करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आपत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अधीक गंगोत्री
संयुक्त सचिव ।

कॉन्ट्रोल 3646111/15-7-1998 सचिवता

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सुचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, मथुरा ।

2- कर्माधीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।

3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, जलौगढ़ ।

4- निरीक्षक, आर्य समाज विद्यालय उज्जैन मथुरा ।

5- प्रमुख, नौटार जीरा मेसर्स हाई स्कूल, मेरठ रोड जलौगढ़ ।

आशा है,

अधीक गंगोत्री
संयुक्त सचिव ।